राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :– 104/2022 प्रा0पत्र

रतनलाल S/o चन्दा कुम्हार नि0 गोराणा - तह0 करेड़ा - भी0

प्रार्थी.....

बनाम

रामसिंह S/o किशोरसिंह राजपूत नि0 गोराणा - तह0 करेड़ा - भी0

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 28/3/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम गोराणा पटवार हल्का गोराणा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 84 आराजी नम्बर 1251/0.1012, 1252/0.1012, 1253/0.1897, 1254/0.0529, 1255/0.1897, 1256/0.0253, 1257/0.0379, 1258/0.0506, 1262/0.1897, 1291/0.2023, 1374/0.1645, 1377/0.4047, 1512/1259/0.0506, कुल किता 13 रकबा 1.9602 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की से पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/3/22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को निर्णार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी की अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते सर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोराणा पटवार हल्का गोराणा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 84 आराजी नम्बर 1251/0.1012, 1252/0.1012, 1253/0.1897, 1254/0.0529, 1255/0.1897, 1256/0.0253, 1257/0.0379, 1258/0.0506, 1262/0.1897, 1291/0.2023, 1374/0.1645, 1377/0.4047, 1512/1259/0.0506, कुल किता 13 रकबा 1.9602 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–लेख निरीक्षक शाम्पाद को 750/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को उनमें उपरोक्त हुये सर्वसम्मत बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:35:58 IST
Reason: SelfAttested

:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

नपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा